

अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014
(आयकर)

का.आ. 2817(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उपखंड-(ii) में दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ) दिनांक 12 मार्च, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, निदेश देता है कि: –

- (क) नीचे अनुसूची के स्तम्भ (6) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 92 गक के स्पष्टीकरण में उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट अपर आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) का अधीनस्थ होगा।
- (ख) नीचे अनुसूची के स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 92 गक के स्पष्टीकरण में उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त का अधीनस्थ होगा।
- (ग) नीचे सारणी के स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) या (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त के अधीनस्थ होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त	मुख्य आयकर आयुक्त	आयुक्त आयकर	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त)	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (उप/सहायक आयकर आयुक्त)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली		आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(1), दिल्ली	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी)- I(1)(1), दिल्ली (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-I(1)(2), दिल्ली
				अपर/संयुक्त आयकर	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				चेन्नई	(ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3(2), चेन्नई
			आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद	(i) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद (ii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद (iii) उप/सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण (मूल्यनिर्धारण अधिकारी)-3, हैदराबाद

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 60 /2014/फा. सं.187/29/2014 (आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक